राजस्थान विद्युत् विनियामक आयोग

विद्युत निरीक्षक के आदेशों के विरूद्ध अपीलें विनियम

जयपुर,

जी.एस.आर. 105:- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 162 (1) व 181 के द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है,

अर्थात:-

अध्याय 1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम; और व्याप्ति:.**

   (1) वे विनियम राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत निरीक्षक के आदेशों के विरूद्ध अपीलें) विनिमय, 2002 कहे जायेंगे।

   (2) यें विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत होंगे।

   (3) **लागू होना:** ये विनियम विद्युत निरीक्षक के विनिश्चय पर वहां लागू होंगे जहां विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की उपधारा (2) के अधीन, राजस्थान सरकार ने साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा, यह निदेश दिया है कि इसके विनिश्चय की अपील आयोग को होगी; परन्तु ये विनिमय प्रशासनिक कृत्यों के निर्वहन में विद्युत निरीक्षक द्वारा लये गये पूर्णत: प्रशासनिक प्रकृति के विनिश्चयों पर लागू नहीं होंगे।

2. **परिषभाएं:-** इन विनियमों में, शब्दों और पदों के अर्थ वही होंगे जो कि विद्युत अधिनियम 2003 या तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों में है।

3. **विद्युत निरीक्षक द्वारा आदेश:-** विद्युत निरीक्षक, समस्त मामलों में, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों व इन उपबन्धो की अधीन उसे प्रदत्त कार्यो के निर्वहन में आदेश पारित करेगा।

4. **अपीलें:-** (1) विद्युत निरीक्षक के किसी आदेश से व्यथित कोई भी हितबद्ध उपभोक्ता यचा उपभोकता से भिन्न व्यक्ति राजस्थान विधुत विनायक आयोग (कार्य का संपादन) विनियम, 2004 के अनुरूप रहते हुए एक याचिका के रूप में आयोग को अपील कर सकेगा। अपील-याचिका के साथ, अंन्य चीजों के साथ-साथ निम्नलिखित होंगे:-

   (प) उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसके विरूद्ध अपील की गयी है।

   (पप) अपील के पक्षकारों की सूची।

(2) अपील में उसे आदेश पर आपत्ति के आधार, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और वह अनुतोष, जो मांगा जा रहा है, संक्षेप में और सुभिन्न शीर्षों के अधीन उपवर्णित किये जायेंगे। अपील के ऐसे आधार क्रमवर्ती के रूप में संख्यांकित किये जायेंगे।

(3) अपील, उस स्थिति को छोड़कर अब आयोग आदेश करें, विद्युत निरीक्षक के आदेश पर रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगी।

5. **फीसः-** इन विनियमों के अधीन फाइल की गयी अपील के साथ राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को 500/- रू. की फीस के संदाय का सबूत लगा होगा।

6. **परिसीमाः-** विद्युत निरीक्षक के विनिश्चय के विरूद्ध अपील आदेश के दिनांक के 90 दिनों के भीतीर फाइल की जायेगी।

7. **अभिलेखों का समन किया जानाः-** आयोग उस कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा जिसके विरूद्ध अपील की गयी है।

8. **आयोग द्वारा मामले की सुनवाईः-** आयोग के एक या एक से अधिक सदस्यों से बनी पीठ, जैसा भी निर्देश अध्यक्ष दें, अपील-याचिका की सुनवाई करेगी।

9. **आयोग द्वारा विनिश्चयः-** आयोग उस आदेश की पुष्टि या उसमें फेराफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा जिससे अपील की गयी है।

(सं. राविविआ/सचिव/विनिमय/7)

आयोग के आदेश से
पी. दयाल
सचिव

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर,

<u>पावर प्रणाली के विनियमन के लिए कोड़ों की विरचना</u>

संख्या सचिव राविविआ विनियम 11:- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के द्वारा उसे, प्रदत्त शक्तियों और इस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. **संक्षितप नाम ओर प्रारंभ:-**

(1) ये विनियम ''राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (पावर प्रणाली के लिए कोड़ों की विरचना) विनियम, 2002'' कहे जायेंगे।

(2) ये विनियम राज-पत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:-**

ये विनियम राज्य में प्रावर प्रणाली के कामकाज के दक्षतापूर्ण, मित्तव्ययितापूर्ण और साम्यपूर्ण रीति से होने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त प्रणाली के विनियमन और प्रचालन के लिए आयोग या किसी अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा विरचित किये जाने वाले सभी कोड़ों पर लागू होंगे।

3. **परिभाषा:-**

इन विनियमों में, शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा, जो उनके लिए विधुत अधिनियम, 2003 में या तदृधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में है।

4. **विभिन्न कोड़ों की विरचना और अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा उनके प्रारूपों का प्रस्तुत किया जाना:-**

(1) विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन विभिन्न विनियमों के अतिरिक्त आयोग, पावर प्रणाली की सुरक्षा और उसके कामकाज के दक्षतपूर्ण, मितव्ययिकतापूर्ण और साम्य पूर्ण रीति से होने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त प्रणाली को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित कोड़ों की विरचना करेगा:-

(i)मीटरिंग कोड़

(ii) सुरक्षा कोड़

(ii) वितरण कोड

(2) आयोग अनुज्ञप्तिधारी से उपुर्यक्त कोड़ों के प्रारूप मंगा सकेगा और हितबद्ध व्यक्तियों से टीका टिप्पणी और आक्षेप आमंत्रित कर सकेगा और प्राप्त टीका-टिप्पणियों और आक्षेपों पर ऐसी रीति से विचार करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, कोड़ को अन्तिम रूप दे सकेगा।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित कोड़ों के अतिरिक्त, आयोग, विधुत अधिनियम 2003 के द्वारा जैसाकि व्यदिष्ट है, कोई अन्य कोड जिसे वह राज्य में पावर सेक्टर के किसी भी पहलू के कामकाज के विनियमन के लिए आवश्यक समझे, जारी कर सकेगा।

आयोग के आदेश से,
पी. दयाल,
सचिव, रा.वि.वि.आ.